



सत्यमेव जयते

# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

17 अग्रहायण, 1942 (श०)

संख्या- 638 राँची, मंगलवार,

08 दिसम्बर, 2020 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

-----

संकल्प

31 नवम्बर, 2020

संख्या-5/आरोप-1-8/2017-11402 (HRMS)-- श्री अरुण कुमार एक्का, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-877/03, गृह जिला-गुमला), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, रायडीह, गुमला के विरुद्ध उप विकास आयुक्त- सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक, गुमला के पत्रांक-1193/म0को0, दिनांक 26.11.2016 द्वारा प्रपत्र-‘क’ में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया है, जिसमें श्री एक्का विरुद्ध मनरेगा अंतर्गत प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी के दायित्वों का निर्वहन नहीं करने, मनरेगा कानून का उल्लंघन करने, प्रखंड अंतर्गत क्रियान्वित वृक्षारोपण एवं अन्य प्रकार की योजनाओं का सही ढंग से निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण नहीं करने, फलतः सरकारी राशि के गबन/दुरुपयोग में स्वयंसेवी संस्थाओं को सहयोग करने संबंधी आरोप प्रतिवेदित किया गया।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-1388, दिनांक 15.02.2017 द्वारा श्री एक्का से स्पष्टीकरण की माँग की गई। इसके अनुपालन में श्री एक्का के पत्रांक-73, दिनांक 15.01.2018 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। श्री एक्का द्वारा अपने स्पष्टीकरण में निम्नलिखित तथ्यों का उल्लेख किया गया-

(i) वर्ष 2007-08 में रायडीह प्रखंड में नरेगा योजना अंतर्गत विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं को वृक्षारोपण योजना की स्वीकृति एवं इन योजनाओं में राशि का भुगतान जिला स्तर से किया गया था। उनके द्वारा नरेगा दिशा-निर्देशों का अनुपालन करते हुए नियमित रूप से योजनाओं का निरीक्षण/पर्यवेक्षण करते हुए जिला समन्वय समिति की बैठक में प्रगति के संबंध में उच्चाधिकारियों को अवगत करा दिया जाता था।

(ii) गुमला जिला अंतर्गत रायडीह प्रखंड में जेट्रोफा की खेती हेतु निर्गत प्रशासनिक स्वीकृत्यादेश में प्रखंड विकास पदाधिकारी के अतिरिक्त योजनाओं के निरीक्षण हेतु वन प्रमंडल पदाधिकारी, गुमला; संबंधित अंचल के वन विभाग के पदाधिकारी; जिला उद्यान पदाधिकारी; जिला कृषि पदाधिकारी के अलावा पंचायत के पर्यवेक्षक एवं पंचायत सचिव को भी जिम्मेवार बनाया गया था। अतः योजनाओं का सफल कार्यान्वयन केवल प्रखंड विकास पदाधिकारी की ही जिम्मेदारी नहीं थी, बल्कि यह एक सामूहिक जिम्मेदारी थी।

(iii) उप विकास आयुक्त, गुमला के आदेश के आलोक में योजनाओं के अंतर्गत लगाये गये जीवित पौधों/वृक्षों की स्थिति संबंधी विभिन्न तिथियों में प्रेषित जांच प्रतिवेदनों के विरोधाभासी होने के संबंध में स्पष्ट करना है कि स्वयंसेवी संस्थाओं पर जांच एवं कार्रवाई की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाने के कारण पौधों/वृक्षों के नियमित रख-रखाव एवं देखभाल क्रियान्वयन संस्था के द्वारा बन्द कर दिया गया।

(iv) ग्रामीण सुलभ केन्द्र, लोहरदगा रोड, करांजी बेड़ो द्वारा लगाये गये पौधों के संबंध में प्रखंड कार्यालय के पत्रांक-148(ii) दिनांक 08.05.2008 द्वारा केमटे पंचायत के कुल 12 ग्रामों में 495.08 एकड़ में लगाये गये 329735 के विरुद्ध जीवित पौधों की संख्या 304536 प्रतिवेदित किया गया, जबकि आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, राँची के आदेश ज्ञापांक-155/वि0 दिनांक 28.06.2008 के आलोक में प्रखंड कार्यालय पत्रांक-559(ii) दिनांक 01.08.2008 में पंचायत केमटे में पौधारोपण की संख्या काफी कम प्रतिवेदित करने के संबंध में स्पष्ट करना है कि अगले ही वित्तीय वर्ष 2008-09 में जांच प्रक्रिया प्रारंभ हो जाने के कारण ही स्वयंसेवी संस्था के द्वारा पौधों का देखभाल करना बंद कर दिया गया।

(v) रायडीह प्रखंड में नरेगा अंतर्गत जेट्रोफा वृक्ष लगाने हेतु ज्ञानश्री स्वयंसेवी संस्था, गुमला को कार्यकारी एजेंसी नियुक्त किया गया था। स्वयंसेवी संस्था के द्वारा खाद क्रय से संबंधित समर्पित विपत्र की जांच अपर समार्हता, गुमला द्वारा की गई थी, जिसमें विपत्र को फर्जी पाया गया था तथा उक्त के आलोक में उनके द्वारा रायडीह थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

(vi) सुनीता कला निकेतन, पालकोट रोड, गुमला के फलदार वृक्षारोपण योजना में संयुक्त जांच प्रतिवेदन के पत्रांक-559 दिनांक 01.08.2008 द्वारा प्रेषित जांच प्रतिवेदन में कुल स्वीकृत 47.39 एकड़ के स्थान पर 25.68 एकड़ पर ही 9478 पौधों के स्थान पर भौतिक सत्यापन में 893 पौधे का पाये जाने का मुख्य कारण यह था कि वित्तीय वर्ष 2007-08 में उक्त स्वयंसेवी संस्था द्वारा फलदार वृक्ष स्वीकृत खाता/प्लॉटों के इतर भी लगाये गये थे, परन्तु आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल,

राँची के निदेश के आलोक में संयुक्त जांच प्रतिवेदन में स्वीकृत प्लॉटों पर लगाये गये पौधे की ही गणना की गई थी।

(vii) आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, राँची द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन के आलोक में मामले की समीक्षा श्रीमती स्मिता चुघ, सदस्य, राजस्व पर्षद्, झारखण्ड, राँची द्वारा की गई थी। श्रीमती चुघ के प्रतिवेदन में उल्लेखित है कि आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल द्वारा किये गये जांच में योजनाओं अंतर्गत राशि की उपयोगिता में पाई गई भिन्नता योजना के लिए स्वीकृत प्लॉट में परिवर्तन के कारण आया है। योजना के संयुक्त स्थल जांच के क्रम में स्वीकृत प्लॉटों से इतर अन्य प्लॉटों पर कराये गये वृक्षारोपण को सम्मिलित नहीं किया गया है।

(viii) श्री के0एन0 त्रिपाठी, सदस्य, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद्, झारखण्ड के पत्र के आलोक में श्री जी0आर0 जुनेजा, नेशनल लेवल मॉनिटर द्वारा भी गुमला जिला में वर्ष 2007-08 में नरेगा योजना अंतर्गत वृक्षारोपण की ली गई योजनाओं के संबंध में अपने जांच प्रतिवेदन में कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई है।

(ix) स्वयंसेवी संस्थाओं को राशि विमुक्ति संबंधी पत्र की प्रति प्रखंड कार्यालय को विलम्ब से प्राप्त हुई। जहां तक परियोजना को ससमय पूर्ण करने की जिम्मेवारी के उल्लंघन की बात है, इस संबंध में स्पष्ट करना है कि त्रिवर्षीय योजनाओं को प्रथम वर्ष में ही पूर्ण कराना/माना जाना तर्कसंगत नहीं है।

(x) योजनाओं के क्रियान्वयन के दौरान प्रगति के संबंध में प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं स्वयंसेवी संस्था के साथ संयुक्त रूप से जिला स्तर पर समीक्षा नहीं की जाती थी।

श्री एक्का के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-862, दिनांक 01.02.2018 द्वारा उपायुक्त, गुमला से मंतव्य की माँग की गयी। उक्त के आलोक में उपायुक्त, गुमला के पत्रांक-818/म0को0 दि0 20.07.2018 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जिसमें उपायुक्त, गुमला द्वारा निम्न तथ्यों का उल्लेख किया गया-

(i) मनरेगा अंतर्गत मुख्य प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी होने के नाते श्री एक्का की महत्वपूर्ण भूमिका थी। उन्हें मनरेगा अधिनियम के तहत योजनाओं का अनुश्रवण किया जाना चाहिए था।

(ii) श्री एक्का को बिना सक्षम स्तर से स्वीकृति लिये बिना स्वीकृत प्लॉट के अतिरिक्त अन्य प्लॉट पर लगाये गये पौधों हेतु मास्टर रौल निर्गत कर इसकी एम0आई0एस0 इंट्री नहीं की जानी चाहिए थी।

(iii) स्वयंसेवी संस्था को राशि विमुक्ति संबंधी आदेश पत्र की प्रति प्रखंड कार्यालय को विलम्ब से प्राप्त होने संबंधी कोई साक्ष्य श्री एक्का द्वारा समर्पित नहीं किया गया है।

(iv) वृक्षारोपण योजनाओं के तीन वर्षों में क्रियान्वयन किया जाना चाहिए था, किन्तु प्रथम वर्ष में ही अनियमितता का मामला उजागर होने पर कार्रवाई प्रारंभ की गई।

श्री एक्का के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-502 दिनांक 18.01.2019 द्वारा ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची से बिन्दुवार मंतव्य की माँग की गई एवं इसके लिए स्मारित किया गया। ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-2065, दिनांक 13.07.2020 द्वारा सूचित किया गया कि उपायुक्त, गुमला के पत्रांक-818(ii) दिनांक 20.07.2018 द्वारा श्री एक्का के स्पष्टीकरण पर

प्रेषित बिन्दुवार मंतव्य की समीक्षा की गयी एवं समीक्षोपरांत उपायुक्त, गुमला के मंतव्य से सहमति संसूचित की गयी।

उपर्युक्त वर्णित स्थिति में उपायुक्त, गुमला के मंतव्य से सहमत होते हुए मनरेगा योजनाओं के पर्यवेक्षण कार्य में चूक का दोषी मानते हुए श्री अरुण कुमार एक्का, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, रायडीह, गुमला के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv)के अंतर्गत असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

| Sr No. | Employee Name<br>G.P.F No.    | Decision of the Competent authority                                                                                                                                                                                                               |
|--------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | 2                             | 3                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1      | ARUN KUMAR EKKA<br>JHK/JAS/24 | श्री अरुण कुमार एक्का, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, रायडीह, गुमला के विरोध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv)के अंतर्गत असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है। |

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**अशोक कुमार खेतान,**  
सरकार के संयुक्त सचिव।  
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/2972

-----